

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

01 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022

02.02.2022

17.02.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1—श्री शिवराज अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स सीताराम राधेश्याम
किराणा स्टोर मेन मार्केट दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 1
सुनारो का मोहल्ला दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राज0

2—श्रीमति आशा देवी पत्नि श्री राजेश प्रोपरायटर मैसर्स एस. कुमार एण्ड कम्पनी ए.वी.एम
स्कूल के पीछे जयपुर रोड दौसा राज0 निवासी अग्रसेन कॉलोनी न्यू मण्डी रोड दौसा राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2—अप्रार्थीगण उपस्थित


:-निर्णय:-

दिनांक 17.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.10.2021 को समय 1.49 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स सीताराम राधेश्याम किराणा स्टोर मेन मार्केट दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राज0 पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री शिवराज अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स सीताराम राधेश्याम किराणा स्टोर मेन मार्केट दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 1 सुनारो का मोहल्ला दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दकान मे धनिया पावडर लाभिस गगन स्पाईसेस ब्राण्ड (Coriander Powder Labhi s
Spices Brand) जिसके बैच नं0 ए 5 एवं पैकिंग की दिनांक 20 मई 2021 अंकित थी,खा




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री शिवराज अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता शिवराज अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।


आवेदक द्वारा दुकान की रैक में 500-500 ग्राम के 12 नग धनिया पावडर लाभीस गगन स्पाईसेस ब्राण्ड (Coriander Powder Labhi s Gagan Spices Brand) रखे हुये में से 4 नग पॉली पैक कुल 2 किलोग्राम का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता, श्री शिवराज अग्रवाल को रू0 232/-अक्षरे दौ सौ बत्तीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा धनिया पावडर लाभीस गगन स्पाईसेस ब्राण्ड (Coriander Powder Labhi s Gagan Spices Brand) खरीदशुदा 500-500 ग्राम के 4 नग पॉली पैक को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड को लेकर 4 नग पॉली पैक में से 500-500 ग्राम के एक-एक नग के नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2909 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2909 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, शिवराज अग्रवाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री शिवराज अग्रवाल ने मौके पर धनिया पावडर लाभीस गगन स्पाईसेस ब्राण्ड (Coriander Powder Labhi s Gagan Spices Brand) का बतोर वारंटी बिल मैसर्स एस. कुमार एण्ड कम्पनी ए.वी.एम स्कूल के पीछे जयपुर रोड दौसा राज0का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 13834 दिनांक 29.08.2021 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3230 दिनांक 18.11.2021 के द्वारा



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल०एस०/1458/एक्ट/2021/1383 दिनांक 08.11.2021 अनुसार शिवराज अग्रवाल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया धनिया पावडर लाभीस गगन स्पाईसेस ब्राण्ड (Coriander Powder Labhi s Gagan Spices Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i) (zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का धनिया पावडर लाभीस गगन स्पाईसेस ब्राण्ड (Coriander Powder Labhi s Gagan Spices Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस धनिया पावडर लाभीस गगन स्पाईसेस ब्राण्ड (Coriander Powder Labhi s Gagan Spices Brand) का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया धनिया पावडर लाभीस गगन स्पाईसेस ब्राण्ड (Coriander Powder Labhi s Gagan Spices Brand) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री शिवराज अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स सीताराम राधेश्याम किराणा स्टोर मेन मार्केट दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राज० निवासी वार्ड नं० 1 सुनारो का मोहल्ला दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राज० पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू०) अप्रार्थी श्रीमति आशा देवी पत्नि श्री राजेश प्रोपरायटर मैसर्स एस. कुमार एण्ड कम्पनी ए.वी.एम स्कूल के पीछे जयपुर रोड दौसा राज० निवासी अग्रसेन कॉलोनी न्यू मण्डी रोड दौसा राज० पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



17-2-2022
(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0